न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

प्रकरण सं.– 30/2017 GCMS:- 2017/00216

1 पुष्पादेवी पत्नी स्व. महावीर प्रसाद
2 प्रियंका पुत्री स्व. महावीर प्रसाद } अकवाम जाट निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3 सुनील पुत्र स्व. महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन रामसरा जाखड़ान नाबालिग जरिये कुदरती बली माता पुष्पादेवी पत्नी स्व महावीर प्रसाद, वादीया न (1) – वादीगण

बनाम

1 बीरबल पुत्र श्री जीयाराम जाति कुम्हार निवासी रामसरा जाखड़ान तह सुरतगढ़।
2 राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़। – प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 11.09.2020

वाद पत्र अर्तगत धारा 53, 209राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता :– वादीगण
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

1 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण यह दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एंव प्रतिवादी नं. 1 के नाम से चक 19 एस.टी.बी. की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 2075 के खाता संख्या 69/9 के पत्थर नम्बर 49/315 (20) के किला न 1 ता 25 में 6.211 हैक नहरी/अ.क/मय रास्ता भुमि जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न 1 का खातेदारी दर्ज रिकार्ड है व इसी हिस्सानुसार वादीगण का व प्रतिवादीगण का घरूबॅटवारा अनुसार ही अलग–अलग कब्जा काश्त है। वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम की जमाबन्दी की प्रमाणीत प्रति संलग्न वाद है। उक्त रकबा वादीगण के ससुर/दादा कृष्णलाल का उक्त रकबा आज से 30–35 वर्ष पुर्व खरीदा हुआ है जो वादीगण के पति/पिता के फौत हो जाने के बाद उक्त रकबा विरास्तन वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है व खरीद के समय ही उक्त रकबा में से वादीगण के ससुर/दादा ने इस पत्थर 49/315 के किला न 13 के0.184 हैक व किला 14 ता 25 2.922 हैक रकबा का कब्जा प्राप्त किया था व उनके फौत होने पर इसी रकबा पर वादीगण के पति/पिता महावीर का कब्जा काश्त रहा व महावीर के फौत हो जाने पर वर्तमान में इसी रकबा पर वादीगण का कब्जा काश्त है व प्रतिवादी न 1 के हिस्से का रकबा जिस पर प्रतिवादी स्वय नही काश्त करता बल्कि उसके परिचित ही किला न 1 ता 12/3.036 हैक व किला न 13 के .069 हैक इस प्रकार 3.105 हैक रकबा पर काश्त करते है । वादीगण एंव प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त वादीगण द्वारा रकबा खरीद करने की दिनांक से व घरु बंटवारा निम्ननुसार है :–

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज०)

लगातार पेज 2 पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:53:50 IST
Reason: SelfAttested

(1) वादीगण का उसके हिस्से व घरू बॅटवारानुसार कब्जा काश्त :–चक 19 एस.टी.बी. के किला न 13 का 0.184 हैक (पुर्वी पासा) व किला 14 ता 25 का 2.922 हैक इस प्रकार कुल 3.106 हैक कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा पर कब्जा काश्त उनके खरीद की तारीख यानी पिछले 35–40 वर्षो से है व इसी अनुसार खाता विभाजन चाहता है ।

(2) प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से व घरू बॅटवारानुसार कब्जा काश्त :–चक 19 एस.टी.बी. के किला न 1 ता 12 का 3.036 हैक व किला 13 के 0.069 हैक (पश्चिमी पासा) इस प्रकार कुल 3.105 हैक कमाण्ड/अनकमाण्डरकबा पर कब्जा काश्त है ।

उपरोक्तानुसार वादीगण एंव प्रतिवादी ने अपने हिस्से के अनुसार ही बंटवारा कर रखा है एंव अपने कब्जा काश्त की भूमि पर अर्सा दराज से कब्जा काश्त है तथा इसीनुसार बंटवारा करना चाहते है। तथा वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि में टयूबवैल भी लगा रखा है व वादीगण ने अपने रकबा की सींव भी अलग बना रखी है तथा यही रकबा खाता विभाजन में प्राप्त करना चाहते है तथा प्रतिवादी अपने हिस्से का रकबा स्वय नही काश्त करता है वो अर्सा दराज से इस रकबा पर नही आया उसके परिचित ही उसके हिस्से का रकबा काश्त करते है, जब वादी ने प्रतिवादी के हिस्से के रकबा को काश्त करने वालो को इस रकबा का खाता विभाजन हेतु पिछले तीन चार वर्षो से लगातार कहते आ रहे है, परन्तु प्रतिवादी स्वय के ना मिलने से सहमति से खाता विभाजन नही हो सकता। इस रकबा के खाता विभाजन हेतु वादी ने प्रतिवादी के रकबा को काश्त करने वालो को दिनांक 17.02.2017 को तहसील में चलकर पुराना कब्जा के अनुसार खाता विभाजन का कहा तो वो लोग तहसील से नोटीस आने पर ही खाता विभाजन करवाने का बहाना बनाकर खाता विभाजन करवाने से मुकर गये इसलिये वादीगण को प्रतिवादी की अनुपस्थिती व उसके मुजारो की इसी इन्कारी की वजह से ही यह दावा पेश करना पड़ रहा है यही वाद उत्पन्न होने का मुख्य कारण है तथा वादीगण एंव प्रतिवादी का खाता साझा होने से रकम व मामला जमा करवाने में तथा बैंक व अन्य संस्था से ऋण लेने में दिकत होती है इसलिये भी वादीगण को खाता विभाजन मे चक 19 एस.टी.बी. के किला न 13 का 0.184 हैक (पुर्वी पासा) व किला 14 ता 25 का 2.922 हैक इस प्रकार कुल 3.106 हैक कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा दिया जाकर वादीगण का खाता प्रतिवादीगण से अलग किया जावे।

2 प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को साधारण व रजिस्ट्रर्ड नोटिस से जलब किया गया फिर भी प्रतिवादीगण न. 1 की तलबी ना होने की वजह से वादी के खर्चा पर प्रतिवादीगणस न. 1 की तलबी अखबार में वाद पत्र के स्थिरिकरण के सम्मन दिनाक 04.12.2017 को साया किया गया फिर भी प्रतिवादी न. 1 हाजिर नही हुआ इसलिये दिनाक 01.08.2018 को प्रतिवादीगण न. 1 की एकतरफा कार्यवाही की गई व प्रतिवादीगण न. 2 ने भी जवाब पेश

लगातार पेज 3 पर

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:53:50 IST
Reason: SelfAttested

नही किया इसलिये इसी दिनाक 01.08.2018 को जवाब स्टेट बन्द किया गया व वाद पत्र के आधार पर निम्नानुसार विवाधक कायम किये गये।

1. आया वादीगण एंव प्रतिवादी न. 1 के नाम से चक 19 एस.टी.बी. के पत्थर न. 49/315 (20) के किला न. 1 ता 25 में 6.211 हैक. में 1/2, 1/2 हिस्सा खातेदारी रकबा है ? ..... वादीया
2. आया वादीया अपने रकबा का खाता विभाजन मुताबिक कब्जा काश्त वाद पत्र के पैरा सख्या 4 के अनुसार खाता विभाजन करवाने की हकदार है व वादीया खाता विभाजन में प्राप्त रकबा की अलग से रकम कायम करवाने की हकदार है ? ..... वादीया
3. अन्य अनुतोष ..... ?

3 तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली में साक्ष्यवादी लिये गये वादीया पुष्पादेवी का शपथ पत्र के अलावा प्रकरण में एक स्वतंत्र गवाह भागीरथ का भी लिखित शपथ पत्र पेश हुआ व साक्ष्य प्रतिवादी में कोई हाजिर ना होने की वजह से बन्द किये जाकर बहस सुनी गई व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर निम्नानुसार तनकी वाईज निर्णय किया जाता है।

तनकी न. 1 :– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श न. 1 से यह साबित है कि चक 19 एस.टी.बी. के पत्थर न. 49/315 (20) के किला न. 1 ता 25 में 6.211 हैक. खातेदारी रकबा में वादीगण न. 1 ता 3 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण न. 1 के नाम से 1/2 हिस्सा है जो दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है व वादीगण अपने हिस्सा के रकबा के खाता विभाजन करवाने के हकदार है इसलिये इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी न. 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के पक्ष में है वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के साथ साथ शपथ पत्र से भी यह साबित किया है कि उसका मौका पर किला न. 13/.184 हैक. व किला न. 14 ता 25 का 2.922 हैक. रकबा पर कब्जा काश्त है। वादीगण ने दावा में निवेदन किया है कि उनके कब्जा काश्त के रकबा को ही उन्होने सुधार कर काश्त के योग्य बनाया है व इस रकबा को समतल करने में उन्होने लाखो रूपयों खर्चा किया है व इसके खण्डन के बाबत पत्रावली में कोई भी ऐसा साक्ष्य मौजूद नही है, तथा वादीगण का उनके हिस्से के अनुसार ही कब्जा काश्त है। राजस्थान काश्तकारी कानून के अनुसार सहकाश्तकार को उनके कब्जा काश्त का रकबा खाता विभाजन में दिया जा सकता है। वादीगण ने इस तनकी को साबित किया है इसलिये इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज०)

लगातार पेज 4 पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:53:50 IST
Reason: SelfAttested

तनकी न. 3 :– इस तनकी में हम उभयपक्ष को खर्चा अपना – अपना वहन करने का आदेश दिया जाना उचित है।

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण ने अपना वाद सिद्व कर दिया है इसलिये वादीगण का यह वाद स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 19 एस.टी.बी. के पत्थर न. 49/315 (20) के किला न. 1 ता 25 में 6.211 हैक. खातेदारी रकबा में वादीगण एंव प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1) वादीगण न. 1 ता 3 के नाम ब.हि.बराबर खातेदारी :–चक 19 एस.टी.बी.के प.न. 49/315 के किला न 13 का 0.184 हैक (पुर्वी पासा) व किला 14 ता 24/2.783 व 25/0.139 हैक. इस प्रकार कुल 3.106 हैक कमाण्ड/अनकमाण्ड मय रास्ता रकबा।

(2) प्रतिवादी नं. 1 के नाम खातेदारी :–चक 19 एस.टी.बी. के प.न. 49/315 के किला न 1 ता 12 का 3.036 हैक व किला 13 के 0.069 हैक (पश्चिमी पासा) इस प्रकार कुल 3.105 हैक अन कमाण्ड मय रास्ता रकबा।

तहसीलदार सूरतगढ़ उपरोक्त खाता विभाजन के अनुसार रिकॉर्ड में अमलदरामद कर अलग से रकम कायम करे व पक्षकारान का रकबा बैक रहन हो तो खाता विभाजन कर रहन का अंकन यथावत् रखे। परचा डिक्री जारी हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार हो दफ्तर दाखिल हो।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:53:50 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–मनोजकुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1 पुष्पादेवी पत्नी स्व. महावीर प्रसाद
2 प्रियंका पुत्री स्व. महावीर प्रसाद } अकवाम जाट निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

3 सुनील पुत्र स्व. महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन रामसरा जाखड़ान नाबालिग जरिये कुदरती बली माता पुष्पादेवी पत्नी स्व महावीर प्रसाद, वादीया न (1) – वादीगण

बनाम

1 बीरबल पुत्र श्री जीयाराम जाति कुम्हार निवासी रामसरा जाखड़ान तह सुरतगढ़।
2 राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़। –प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्तगत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 30 वर्ष 2017 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री शिशपाल शर्मा व प्रतिवादी नं. 2 पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 19 एस.टी.बी. के पत्थर न. 49/315 (20) के किला न. 1 ता 25 में 6.211 हैक. खातेदारी रकबा में वादीगण एंव प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1) वादीगण न. 1 ता 3 के नाम ब.हि.बराबर खातेदारी :–चक 19 एस.टी.बी. के प.न. 49/315 के किला न 13 का 0.184 हैक (पुर्वी पासा) व किला 14 ता 24/2.783 व 25/0.139 हैक. इस प्रकार कुल 3.106 हैक कमाण्ड/अनकमाण्ड मय रास्ता रकबा।

(2) प्रतिवादी नं. 1 के नाम खातेदारी :–चक 19 एस.टी.बी. के प.न. 49/315 के किला न 1 ता 12 का 3.036 हैक व किला 13 के 0.069 हैक (पश्चिमी पासा) इस प्रकार कुल 3.105 हैक अन कमाण्ड मय रास्ता रकबा।

तहसीलदार सूरतगढ़ उपरोक्त खाता विभाजन के अनुसार रिकॉर्ड में अमलदरामद कर अलग से रकम कायम करे व पक्षकारान का रकबा बैक रहन हो तो खाता विभाजन कर रहन का अंकन यथावत् रखे।

नोज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बषरह.....फस्दों की पालना..... .आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11.09.2020 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:53:50 IST
Reason: SelfAttested